जवाई बांध के पानी पर जालोर का हक तय करने को लेकर किसानों ने रास्ते जाम किए

विधायक के घर का रास्ता बंद कर विरोध प्रदर्शन किया

जालोर, (कासं)। जालोर जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ के बैनर तले कलैक्ट्रैट के समक्ष जारी महापड़ाव के दसवें दिन बुधवार को किसानों ने विभिन्न संगठनों के सहयोग से चक्का जाम आंदोलन शुरु किया। किसानों ने जालोर में प्रवेश करने वाले सभी रास्तो में टेक्टर खड़े कर मार्ग अवरुद्ध कर जाम लगा दिया। व्यापारियों ने भी किसानों का समर्थन देते हुए बुधवार को पूरे दिन अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इससे बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा।

सड़कों पर टायर आदि जलकर विरोध प्रदर्शन किया, वही जालोर विधायक व मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग के घर का रास्ता बंद कर उनके घर के समक्ष भी किसानों ने अपना रोष प्रकट किया। दिनभर किसान नेताओं ने महापड़ाव स्थल पर सम्बोधित करते हुए जवाई बांध के पानी पर जालोर का हक तय करने को लेकर पूरजोर मांग उठाई।

जवाई बांध के पानी पर जालोर के हक को लेकर चल रहा आंदोलन दसवें दिन भी जारी रहा।

- किसानों ने जालोर में प्रवेश करने वाले सभी रास्तों में ट्रैक्टर खड़े कर मार्ग अवरुद्ध कर दिया

जालोर में जवाई बांध के पानी पर जालोर के लिए एक तिहाई हक तय करने की मांग को लेकर किसानों के महापड़ाव ने दसवें दिन बुधवार को उग्र रुप ले लिया। सरकार द्वारा किसानों के महापड़ाव के बाद भी सकारात्मक हल नही निकालने से किसानों के सब्र का बांध बुधवार को टूटा और जालोर के करीब तीन सौ गांवों के हजारों की संख्या में किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर जिला मुख्यालय पहुंच गये। किसानों ने सड़कों पर उतर जालोर शहर में प्रवेश करने वाले समस्त मार्ग पर ट्रैक्टर खड़े कर मार्ग को बंद कर दिया। जिसके चलते जालोर में आवागमन पूर्णत बंद हो गया तथा किसानों ने हरिदेव जोशी सर्किल, हॉस्पीटल चौराहा, कलैक्ट्रेट के समक्ष टायर व लड़कियां जलाकर मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने जालोर से निकलने वाले जोधपुर बाडमेर नेशनल हाईव 325 का रास्ता बंद कर दिया तथा रोडवेज बसों को भी रोक दिया।

भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष रतनसिंह ने महापडाव स्थल पर सम्बोधित करते हुए कहा कि जवाई बांध के पानी पर जालोर के लिए हक तय करने को लेकर मांग लम्बे समय तक चल रही है। हमारे स्थानीय नेताओं की कमजोर पैरवी के चलते जालोर के लिए जवाई बांध के पानी का हक तय अभी तक नही हुआ। जिसके चलते हमेशा किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ा।

25 लाख का गबन करने वाला कर्मचारी चढ़ा पुलिस के हत्थे

अजमेर, (कासं)। पालरा स्थित गोदाम में काम करने वाले एक युवक ने 25 लाख रुपए का गबन किया है। युवक दस साल से यहा पर काम कर रहा था। गोदाम मालिक ने जब स्टॉक की जांच की तो मामला उजागर हुआ। उन्होंने आदर्शनगर थाने में आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उसे बुधवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा।

थाने के हैड कांस्टेबल श्रीकिशन ने बताया कि धोला भाटा निवासी आशीष वर्मा पालरा स्थित गोदाम में पिछले दस साल से काम कर रहा था। गोदाम मालिक अखिलेश जैन ने पुलिस को बताया कि आशीष दस साल से उसके यहां पर काम कर रहा था। इस दौरान उसने धीरे-धीरे 25 लाख रुपये का गबन कर लिया। गोदाम का स्टॉक कम पाए जाने पर जांच के दौरान सामने आया कि आशीष ने बड़ी चालाकी से गोदाम वित्तीय रिकॉर्ड में हेरफेर करके यह लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। जैसे ही आरोपी कार्यवाही की भनक लगी तो उसने काम पर आना बंद कर दिया। मामला सामने आने के बाद जैन की शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी आशीष को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी युवक से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस गबन में आशिष के साथ और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

हादसे में एक जने की मौत

कोटा, (निसं)। कोटा-बारां हाईवे नॉर्दन बाईपास पर झालीपुरा के समीप एक ट्रक का टायर फटने से घायल हुये दुकानदार को उपचार के लिये एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गयी। मृतक कोटा के छावनी निवासी अब्दुल रहीम (45) है। जानकारी के अनुसार अब्दुल रहीम की झालीपुरा के पास टायर की दुकान है। बुधवार सुबह एक ट्रक दुकान से सामने आकर खड़ा हुआ और ड्राईवर स्वयं ही हवा भरने लगा जिससे ज्यादा हवा भरने से टायर में अचानक धमाका हो गया। जिसकी चपेट में आने से अब्दुल रहीम घायल हो गया। जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।

बसपा नेता न्यांगली को गोली मारने का फरार आरोपी गिरफ्तार

सादुलपुर, (निसं)।बसपा नेता वीरेंद्र सिंह पर फायरिंग करने के मामले में साधु बनकर अलग-अलग ठिकाने बदल कर पुलिस से छुपता हुआ 10 सालों से फरार स्थाई वारंटी को राजगढ थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया है। बुधवार शाम तीन बजे दी जानकारी में थाना अधिकारी पुष्पेंद्र झाझडिया ने बताया कि महा निरीक्षक पुलिस सीकर रेंज की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी व अवैध आग्नेयास्त्रों के विरुद्ध कार्रवाई के चलते स्थानीय पुलिस अधिकारियों के सुपरविजन में गठित टीम ने दस साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि पुलिस लगातार साक्ष्य इकट्ठा कर 10० सालों से फरार आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास कर रही थी।

- साधु बनकर ठिकाने बदलकर आरोपी रह रहा था जोधपुर
- राजगढ़ थाना पुलिस ने न्यायालय में पेश कर आरोपी को भेजा जेल में

उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी जोधपुर क्षेत्र में साधु बनकर घूम रहा है, जिस पर टीम जोधपुर पहुंची एवं आसपास क्षेत्र में आम सूचना संकलन करते हुए थाना क्षेत्र के सरदारपुरा में पहुंची। जहां वांछित आरोपी रमेश पुत्र धर्माराम जाट निवासी गावड पुलिस थाना सदर हिसार जिला हिसार हरियाणा को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया जहां न्यायाधीश ने आरोपी को जेल भिजवा दिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी बडा शातिर है, जो दस साल से साधु का भेष बनाकर अलग-अलग ठिकाने पर रहते हुए फरार चल रहा था। आरोपी को गिरफ्तार करने में कांस्टेबल महेंद्र कुमार व अजय कुमार कास्टेबल की विशेष भूमिका रही। उन्होंने बताया कि बसपा नेता वीरेंद्र न्यांगली निवासी न्यांगली पीएएस राजगढ की हत्या करने के इरादे से गोली मार दी थी। तथा मौके से आरोपी फरार हो गया था। उन्होंने बताया कि अभियान जारी रहेगा।

11 युवकों को किया गिरफ्तार

सादुलपुर, (निसं)। राजगढ थाना पुलिस ने गैंगस्टरों को फॉलो करने वाले तथा आदतन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के चलते 11 युवकों के खिलाफ कार्रवाई की है। बुधवार शाम तीन बजे दी जानकारी में थाना अधिकारी पुष्पेंद्र झाझडिया ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान गैंगस्टरों को फॉलो करने वाले आदतन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान स्थानीय अधिकारियों के सुपरविजन में चार अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा पुलिस टीमों ने थाना क्षेत्र में अपराधियों के घर व संभावित ठिकानों पर दबिश देकर बुधवार को 11 युवकों को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उक्त कार्रवाई के अंतर्गत राहुल, तौफीक पठान, समीर, जहीर खान, मोहम्मद सफीक, दीपेंद्र, अल्ताफ, कैलाश, रुस्तम और रहमान को हिरासत में लिया गया है। इनके खिलाफ 107 बीएनसस के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।

अजमेर दरगाह के हिंदू मंदिर होने का दावा कोर्ट ने किया मंजूर

20 दिसंबर को होगी मामले की सुनवाई

अजमेर, (कासं)। अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह मे संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से 23 सितम्बर 2024 को अजमेर के सिविल न्यायालय मे किए गए दायर वाद पर आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले को सुनने योग्य मानते हुए अल्प संख्यक मंत्रालय, ए एस आई व दरगाह कमेटी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश जारी करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 दिसम्बर 2024 तय की है।

याचिकाकर्ता हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बताया कि 23 सितंबर को अजमेर कोर्ट में वाद दायर किया था। याचिका में दरगाह कमेटी व अल्पसंख्यक मंत्रालय एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को पार्टी बनाया गया है। विश्वविख्यात ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा भगवान श्री संकट मोचन महादेव मंदिर बताने का दावा न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र व) अजमेर नगर पश्चिम की अदालत में पेश किया गया है। दिल्ली निवासी हिंदू राष्ट्र सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के अधिवक्ता ईश्वर सिंह और योगेश सुरोलिया ने दरगाह कमेटी के कथित अनाधिकृत कब्जा हटाने संबंधी वाद दो महीने पहले दायर किया था। इस दावे को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई।

वादी ने अपने तर्कों के आधार पर बताया कि इतिहासविद हरविलास शारदा की पुस्तक में दरगाह में मंदिर होने का खुलासा किया गया था। उन्होंने कहा कि जहां भगवान शिव का मंदिर होता है, वहां पर झरना एवं कुआं होता है। दरगाह में भी झालरा और कुआं है, जिससे उनका दावा और मजबूत हो जाता है। अधिवक्ताओं ने बताया कि भगवान महादेव प्रथम पक्षकार हैं और द्वितीय पक्षकार विष्णु गुप्ता हैं। अयोध्या विवाद में भी इसी तरह का दावा प्रस्तुत किया गया था और भगवान को नाबालिग मानते हुए उनके भक्त को द्वितीय पक्षकार बनाया गया था। इसी आधार पर विष्णु गुप्ता इस मामले में द्वितीय पक्षकार हैं। कोर्ट ने विष्णु गुप्ता के दावे को मंजूर कर लिया। दिल्ली से आए एडवोकेट रामस्वरूप बिश्नोई ने बताया कि 38 पेज का वाद पेश किया गया। इसमें कहा गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर है। दरगाह की बनावट और शिव मंदिर के प्रमाण के संबंध में भी सबूत पेश किए गए हैं।

कोर्ट परिसर में मौजूद हिंदू पक्षकार विष्णु गुप्ता।

यह है मामला :- वादी विष्णु गुप्ता द्वारा सितंबर माह मे एसीजेएम कोर्ट में अजमेर की दरगाह में मंदिर होने का दावा पेश किया था, लेकिन क्षेत्राधिकार के मामले में न्यायाधीश ने संबंधित कोर्ट में वाद दायर करने के आदेश दिए थे। वादी द्वारा अंग्रेजी में दावा पेश करने के मामले में हिंदी में दावा पेश करने के लिए कहा गया था। गुप्ता ने 4 अक्टूबर को अजमेर की जिला एवं सत्र न्यायालय में वाद ट्रांसफर के लिए अर्जी पेश की थी। 5 नवंबर को गुप्ता को वाद वापस लेने के लिए धमकी मिली, इसके बाद उन्होंने अजमेर के किशनगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया जिसकी जांच लंबित है। 25 नवंबर को गुप्ता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र व) अजमेर नगर पश्चिम की अदालत में वाद पेश किया जहां तीन दिन लगातार सुनवाई हुई और बुधवार को कोर्ट ने दावा मंजूर कर लिया। अदालत में दिए तर्क: वादी के अधिवक्ता ने बताया कि 38 पेज के दायर वाद में 38 बिंदुओं में तर्क दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से सर्वे किया जा सकता है।

ज्ञानवापी की तरह 1991 पूजा स्थल अधिनियम कानून यहां लागू नहीं होगा। अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्यवाही: अदालत में दावा मंजूर होने के बाद अजमेर का खुफिया विभाग सक्रिय हो गया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुप्तचर विभाग दरगाह सहित परिधि क्षेत्र में निगरानी बनाए हुए हैं। जिला पुलिस की साइबर सेल सोशल साइट्स पर विशेष नजर रखे हुए हैं, अफवाह फैलाने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

सिटी पैलेस में धूणी दर्शन के बाद पूर्व राजपरिवार में छिड़ा विवाद खत्म

विश्वराज सिंह ने सुबह किये एकलिंगजी के दर्शन, शाम को पहुंचे धूणी दर्शन

उदयपुर, (कासं)। मेवाड राजघराने की परंपराओं और आस्थाओं के बीच पिछले कुछ दिनों से चल रहा विवाद बुधवार को समाप्त हो गया। उदयपुर के पूर्व राजघराने के बतौर मुखिया विश्वराज सिंह ने बुधवार को एकलिंगजी भगवान के दर्शन करके आस्था और परंपरा की एक और कडी जोडी, और शाम को सिटी पैलेस में धूणी के दर्शन कर परंपरा को पूरा किया। परंपरानुसार राजतिलक की रस्म के बाद विश्वराज सिंह मेवाड शाम करीब 6.15 बजे सिटी पैलेस में धूणी दर्शन के लिए पहुंचे। इस घटनाक्रम को लेकर राजघराने के समर्थकों ने खुशी का इजहार किया और क्षेत्रीय उत्साह के साथ आतिशबाजी की।

विश्वराज सिंह मेवाड के साथ सलूंबर के देवव्रत सिंह रावत,रणधीर सिंह भींडर,बडी सादडी राज राणा समेत 5 लोग धूणी दर्शन के लिए गए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी उनके साथ हैं। सिटी पैलेस जाने वाले रास्ते पर पुलिस फोर्स तैनात है। बैरिकेडिंग भी की गई है। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल के नेतृत्व में जारी वार्ता के बाद बुधवार शाम को पांच लोगों के साथ विश्वराज सिंह मेवाड को धूणी के दर्शन कराए जाने पर सहमति बनी। इसके बाद दूधतलाई स्थित प्रवेश द्वार से विश्वराज सिंह और उनके समर्थकों ने सिटी पैलेस में प्रवेश किया जहां आस्था और परंपरा की मिसाल पेश की गई। यह घटना न केवल मेवाड राजघराने के आस्था और परंपरा को एक बार फिर स्थापित करती है बल्कि यह भी साबित करती है कि जब धार्मिक आस्थाएं और परिवार की परंपराएँ एक साथ खडी होती हैं तो विवादों के बावजूद समाधान का रास्ता निकल ही आता है। इससे पहले विश्वराज सिंह ने राजतिलक की रस्म के 48 घंटे बाद बुधवार सुबह मेवाड के शासक देवता एकलिंगजी के दर्शन किए। इसके बाद हुई शोक भंग की रस्म में उन्हें रंगीन पगडी पहनाई गई।

विश्वराज सिंह मेवाड ने कैलाश पुरी में किए एकलिंगजी के दर्शन।

- पांच सदस्यों को ही मिली धूणी दर्शन की अनुमति

विश्वराज सिंह के निवास पर परिवार के शोक भंग की रस्म को निभाई गई।इससे पहले बुधवार सुबह भी सिटी पैलेस के गेट बंद रहे। किसी भी विवाद से निपटने के लिए सिटी पैलेस के बाहर, समोर बाग के बाहर पुलिस के कडे सुरक्षा इंतजाम किए गए। सिटी पैलेस के आसपास तो धारा 163 (पहले 144) लागू है। वहीं, मंगलवार को इस पूरे विवाद पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। विश्वराज सिंह मेवाड और लक्ष्यराज सिंह ने एक-दूसरे को सोमवार को हुई हिंसक झडप के जिम्मेदार बताया। दोनों ने ही सरकार और जिला प्रशासन पर भी आरोप लगाए। लक्ष्यराज ने कहा. सरकार मं। बैठे एक व्यक्ति के इशारे पर पूरा विवाद हो रहा है। इधर मेवाड राजपरिवार के वंशजों स्वर्गीय महाराणा महेन्द्र सिंह मेवाड के पुत्र विश्वराज सिंह मेवाड और अरविंद सिंह मेवाड के पुत्र लक्ष्यराज सिंह मेवाड के बीच सिटी पैलेस में धूणी दर्शन को लेकर चल रहे विवाद पर मंगलवार रात को लक्ष्यराज सिंह मेवाड पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। लक्ष्यराज सिंह मेवाड ने कहा वे हमारे घरों में जबरन घुसने के लिए सरकार से दबाव बनवा रहे हैं। मैं उदयपुर में कानून ढूंढ रहा हूं कि कहां है। लक्ष्यराज ने स्पष्ट किया कि किसी की कोई मांग है तो उसके लिए कानूनी रास्ता अपनाएं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। गुंडागर्दी से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। हालांकि लक्ष्यराज पत्रकारों के सवालों का जवाब दिए बगैर बस अपनी बात कहकर चले गए। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अरविंद पोसवाल ने शहर के सिटी पैलेस के आसपास के क्षेत्र में लोक शांति कायम रखने की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के प्रावधानों को लागू किया है। जारी आदेश में बताया गया है कि मेवाड के पूर्व राजपरिवारों के सदस्यों के बीच धूणी दर्शन को लेकर उपजे विवाद के चलते भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जगदीश चौक से 500 मीटर के परिक्षेत्र में एवं रंग निवास पर्यटन पुलिस थाना तक जो कि पुलिस थाना घण्टाघर एवं पुलिस थाना सूरजपोल की सीमाओं के अन्दर आता है, में विविध प्रतिबंध प्रभावी करने के लिए आदेश जारी किए हैं।

उक्त सीमाओं में पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सअप,युट्यूब के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद,जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। यह निषेधाज्ञा 26 नवंबर से आगामी आदेश तक लागू रहेगी। कोई भी व्यक्ति उदयपुर शहर के जगदीश चौक से 500 मीटर के परिक्षेत्र में एवं रंगनिवास पर्यटन पुलिस थाना तक जोकि पुलिस थाना घण्टाघर एवं पुलिस थाना सूरजपोल की सीमाओं के अन्दर आता है, उक्त सीमाओं में किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थए आग्नेय अस्त्र.शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तौल,बंदूक,राईफल्स व अन्य धारदार हथियार जैसे तलवार, गंडासा, फरसा, चाकू, भाला, कृपाण, बर्फी, गुप्ती, कटार,धारिया,आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा,न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ लेकर चलेगा।

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड
(राज्य सरकार का उपक्रम), पार्ट नं. 2, COERRA भवन, (चतुर्थ एवं पंचम तल), अलवर भवन के सामने, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004, फोन नं. 0141-2744239, फैक्स नं. 2744237, E-Mail : gma.rsbcl@rajasthan.gov.in, CIN : U15511RJ2005SGC020336
क्रमांक :- एफ1( )/RSBCL/प्रशासन/2024-25/7086 दिनांक :- 26/11/2024
ई-बिड सूचना - 15
निगम में कार्य आधार पर कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक (मशीन विद मैन) एवं मानव संसाधन (च.श्रे. कर्मचारी) उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक सेवा प्रदाता/फर्म/कंपनी से ऑनलाईन बिड आमंत्रित की जाती है। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण एवं बिड प्रपत्र वेबसाइट https://sppp.rajasthan.gov.in, https://excise.rajasthan.gov.in, https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है। इच्छुक बिडदाता अपनी बिड दिनांक 29.11.2024 से 09.12.2024 सायं 6.00 बजे तक https://eproc.rajasthan.gov.in ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते है। UBN No. : BCL2425SLOB0001
राज.संवाद/सी/24/8348 कार्यकारी निदेशक

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
क्रमांक :- राजकाज - 12029450 दिनांक :- 26/11/2024
ई-निविदा सूचना संख्या:- जोन दक्षिण /14/2024-25
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से प्राधिकरण एंव राजकीय विभाग मे नियमानुसार उपयुक्त श्रेणी मे पंजीकृत ठेकेदारो से सिविल कार्यो हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इन कार्यों की अनुमानित लागत, निविदा बेचे जाने तथा प्राप्त करने की दिनांक, निविदा शर्तें आदि का सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in, www.jodhpurjda.org, www.sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है।
NIB Code :- JOD2425A0128,
UBN No. :- JOD2425WSOB00271
राज.संवाद/सी/24/8351 अधिशाषी अभियंता (दक्षिण)

कार्यालय नगर पालिका अकलेरा जिला झालावाड (राज.)
क्रमांक :- न.पा.अ./2024/1601 दिनांक :- 20/11/2024
ई-निविदा सूचना सं. 02/2024-25
इस कार्यालय की निविदा सूचना संख्या :- न.पा.अ./2024/1588-1590 दिनांक 18.11.2024 के द्वारा कुल 9 कार्य की अनुमानित लागत 187.00 लाख रू. की पंजीकृत संवेदको से ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित समस्त विवरण http://sppp.rajasthan.gov.in and http://eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। UBN No. DLB2425SLOB12050, DLB2425SLOB12051, DLB2425SLOB12052, DLB2425SLOB12053, DLB2425SLOB12054, DLB2425SLOB12055, DLB2425SLOB12056, DLB2425SLOB12057, DLB2425SLOB12058
अध्यक्ष नगर पालिका अकलेरा — अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका अकलेरा
राज.संवाद/सी/24/8273

EXECUTIVE ENGINEER PWD DN-DAUSA
File No. 4816-25 Date 20/11/24
Notice Inviting Bid No-27/2024-25
Bids for Construction work under PWD Division Dausa of Nit No. 27 Year 2024-25 of Procurement are invited from interested bidders upto 11.00 AM (time) 05.12.2024 (date). Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://www.eproc.rajasthan.gov.in. "http://sppp.rajasthan.gov.in) of the state; and "http://www.pwd.rajasthan.gov.in" departmental website. The approximate value of the procurement is Rs 185.95 Lacs
1. UBN No. PWD2425WSOB 10189
2. UBN No. PWD2425WSOB 10190
Executive Engineer PWD Division-Dausa
DIPR/C/11739/2024

कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, जालोर
क्रमांक-पीएमओ/2024/2220 दिनांक-21.11.2024
ई-निविदा सूचना
जिला चिकित्सालय जालोर के अधिन संचालित एमसीएच सेन्टर जालोर के लिए लेप्रोस्कॉपी व हिस्टेरोस्कॉपी मशीन आपूर्ति के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में विहित नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत फर्मो से E-Proc. पोर्टल पर वित्तीय बोली आमंत्रित की जाती है जिसकी अनुमानित लागत 25.31 लाख है, निविदा सूचना www.sppp.rajasthan.gov.in/eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
UBN NO. MHS2425GLOB03976, NIB NO. MHS2425A2744
प्रमुख चिकित्साधिकारी जालोर
DIPR/C/11743/2024

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कोटा (राज.)
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दादाबाड़ी परिसर, सरकारी आवास ए-1, कोटा (राज.)
फोन-0744-2461550, E-mail: eemhkota@ymail.com, ee-mh-kota@gov.in
क्रमांक-849 **निविदा सूचना संख्या- 17/2024-2025** दिनांक-21.11.2024
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य विभिन्न चिकित्सालयों पर रू. 1091.00 लाख के 20 सिविल कार्य हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदको के समकक्ष हो से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से संबंधित विवरण DIPR की वेबसाईट पर www.dipronline.org, http://eproc.rajasthan.gov.in व विभागीय वेबसाईट http://rajswasthya.nic.in पर देखा जा सकता है।

Sr.No.	UBN NO.	Sr.No.	UBN NO.	Sr.No.	UBN NO.
1.	NRH2425WSOB01525	8.	NRH2425WSOB01532	15.	NRH2425WSOB01539
2.	NRH2425WSOB01526	9.	NRH2425WSOB01533	16.	NRH2425WSOB01540
3.	NRH2425WSOB01527	10.	NRH2425WSOB01534	17.	NRH2425WSOB01541
4.	NRH2425WSOB01528	11.	NRH2425WSOB01535	18.	NRH2425WSOB01542
5.	NRH2425WSOB01529	12.	NRH2425WSOB01536	19.	NRH2425WSOB01543
6.	NRH2425WSOB01530	13.	NRH2425WSOB01537	20.	NRH2425WSOB01544
7.	NRH2425WSOB01531	14.	NRH2425WSOB01538		

DIPR/C/11713/2024 अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खण्ड-कोटा

कार्यालय नगरपरिषद,जालोर (राज0)
हॉस्पीटल चौराहा, रेल्वे स्टेशन रोड़, जालोर-343001
क्रमांक/नपजा/भण्डार/ई-टेण्डर/2024/4810 दिनांक: 21.11.2024
:: ई-निविदा सूचना संख्या 03/2024-25 ::
नगरपरिषद, जालोर द्वारा निम्नलिखित कार्य/सामग्री की आपूर्ति हेतु माल एवं सेवाओं के उपापन के लिए दर संविदा वित्तिय वर्ष 2024-25 दिनांक (31.03.2026) के लिए (रेट कान्टेक्ट) हेतु राजस्थान लोक सेवा उपापन पारदर्शिता नियम 2023 के अन्तर्गत विभिन्न फर्मो, ठेकेदारों, अधिकृत डिलरों, पंजीकृत/प्राधिकृत फर्मो/आपूर्तिकार्ताओं/डिलरों से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेण्डर प्रक्रिया के अन्तर्गत निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा की संपूर्ण विवरण/शर्तें ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल https://eproc.rajasthan.gov.in एवं https://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी तथा डाउनलोड की जा सकती है-
01. NIB CODE- DLB2425A3965
आयुक्त नगरपरिषद, जालोर
राज.संवाद/सी/24/8358

नगर विकास न्यास, पाली
जिला कलेक्ट्रेट परिसर, पाली, फोन नं. 02932-223222, ई मेल - uitpali@gmail.com
क्रमांक :- न्या.पा./विज्ञापन/2024/531 दिनांक :- 25/11/2024
ई-निविदा सूचना संख्या-23/2024-25
नगर विकास न्यास, पाली की ओर न्यास/राजकीय विभाग से नियमानुसार उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया से सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्मिक लगाने हेतु ऑन-लाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इन कार्यों की अनुमानित लागत, निविदा बेचे जाने तथा प्राप्त करने की दिनांक, निविदा शर्तें आदि सम्पूर्ण विवरण https://eproc.rajasthan.gov.in, sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है तथा न्यास कार्यालय, पाली में कार्य दिवस के दौरान देखी जा सकती है।

कार्य	निविदा राशि	यू.बी.एन नम्बर (sppp.rajasthan.gov.in)
सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्मिक लगाने का कार्य।	15.00 लाख रू.	ITP2425SLRC00040

अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, पाली
राज.संवाद/सी/24/8356